(210)

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक एफ 13-5/2004/बीस-1 भोपाल, दिनांक 27-12-06

प्रति,

1. आयुक्त,
लोक शिक्षण
म. प्र. भोपाल

2. आयुक्त,
राज्य शिक्षा केन्द्र
म. प्र. भोपाल

3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
मध्य प्रदेश

विषय :- एक नवंबर अथवा उसके पश्चात सेवानिवृत्त होने वाले अध्यापकों (प्राचार्य से लेकर सहायक शिक्षक तक) को सत्रान्त तक पुनर्नियुक्ति देने के अधिकारों का प्रत्यायोजन .

===00===

राज्य शासन द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत अध्यापक वर्ग (जिसमें प्राचार्य से लेकर सहायक शिक्षक तक पद हैं) के एक नवंबर 2006 के पश्चात सेवानिवृत्त होने पर प्रतिवर्ष की भाँति शिक्षण सत्र के अन्त तक अर्थात 30 अप्रैल 2007 तक पुनर्नियुक्ति देने के अधिकार निम्नानुसार प्रत्यायोजित किये जाते हैं :-

1.	प्राचार्य/प्राध्यापक शिक्षा महाविद्यालय	राज्य शासन (प्रशासनिक विभाग)
2.	सहायक प्राध्यापक/व्याख्याता, शिक्षा महाविद्यालय	आयुक्त/संचालक, रा. शै. अनु. एवं प्रशि. परिषद .
3.	प्राचार्य, उ. मा. वि.	आयुक्त, लोक शिक्षण
4.	व्याख्याता, उ. मा. वि.	आयुक्त, लोक शिक्षण
5.	प्रधानाध्यापक/शिक्षक	जिला शिक्षा अधिकारी
6.	सहायक शिक्षक	जिला शिक्षा अधिकारी

2/- ऐसे सत्रान्त तक पुनर्नियुक्ति के प्रकरणों में वित्त विभाग की सहमति और उसके माध्यम से महालेखाकार के आदेश पृष्ठांकन की आवश्यकता नहीं रहेगी।

निरंतर...

211

3/- सत्रान्त तक पुनर्नियुक्ति के आदेश वर्तमान निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर जारी किये जावें । इस संबंध में पुनर्नियुक्ति दिये जाने वाले अध्यापकों की गोपनीय चरित्रावली, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं सेवानिवृत्ति पश्चात कार्य पर बने रहने संबंधी प्रमाण पत्र संबंधित अधिकारी से प्राप्त करने के पश्चात ही उनके सत्रान्त तक पुनर्नियुक्ति के आदेश प्रसारित किये जावे ।

4/- पुनर्नियुक्ति की स्वीकृति इन शर्तों पर ही दी जाया करें कि पुनर्नियुक्ति पर उन्हे प्राप्त अंतिम वेतन में से पेंशन की राशि काटकर जो शेष बची राशि वह वेतन के रूप में प्राप्त होगी, तथा पेंशन पृथक से देय होगी, परन्तु वेतन और पेंशन दोनों को मिलाकर पद के वेतनमान के अधिकतम से ज्यादा न होगी । वित्त विभाग के ज्ञाप क्र. ई-4/4/79/नियम/5/4, दिनांक 20.10.84 के अनुसार पेंशन पर देय राहत प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी ।

5/- उन्हें पेंशन तथा वेतन के आधार पर मंहगाई भत्ता प्राप्त होगा ।

6/- किसी भी ओर से एक माह के नोटिस पर पुनर्नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी ।

7/- यह आदेश वित्त विभाग के यू.ओ.क्र. 2024/06/नि/4, दि. 15.11.06 द्वारा सहमति प्राप्त होने के उपरांत जारी किये जाते हैं ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
(हस्ताक्षर) 27/12/06
(आर. आर. अहिरवार)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृष्ठां. क्र. एफ 13-5/2004/20-1 भोपाल, दिनांक 27/12/2006

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर प्रेषित।
2. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर की ओर दो अतिरिक्त प्रतियों में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(हस्ताक्षर) 27/12/06
अवर सचिव
::राकेश मुले :: मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग